

उदय नारायण खवाड़े
अपर आयुक्त (शैक्षिक)

U. N. Khaware

Addl. Commissioner (Acad.)

No. F.11029/2014/KVS(HQ)/Misc. / 401 -33



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

18, संरथागत क्षेत्र / 18, Institutional Area,

शहीद जीत सिंह मार्ग / Shaheed Jeet Singh Marg.

नई दिल्ली—110016 / New Delhi-110016

दरमाप / Tel. : 011-26533749

फैक्स / Fax : 011-26964366

ई-मेल / E-mail : addlcomm.acad@kvsedu.org

kvs.addlcacad@gmail.com

वेबसाइट / Website : www.kvsangathan.nic.in

Dated : 24.02.2016

The Deputy Commissioner,
Kendriya Vidyalaya Sangathan
All Regional Offices and ZIETs.

Subject: Strict compliance of the provisions contained in the Flag Code of India, 2002 and Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 – reg.

Madam/Sir,

As you are aware that the National flag of India is a symbol of honour and freedom for the country. It is of great significance to us. We should respect and know everything about our national flag.

You are directed to ensure raising the flag every morning and its lowering before sunset on the buildings of Kendriya Vidyalayas and regional offices. Further the Principals of your regions may be directed to position the flag post at prominent places preferably in the Morning Assembly Area so that all the students shall be able to salute the Tricolour every day.

Besides the following Do's and Don'ts should also be observed to honour the National Flag:-

Do's

- When the flag is hoisted, it should be flat and horizontal.
- Saffron panel should be on the top.
- When flag is hoisted in open, it should be flown from sunrise to sunset.
- Always hoist the flag briskly and lower it slowly and ceremoniously.
- All people should face the flag and stand at attention, when the flag is being hoisted or lowered.

Don'ts

- Damaged or crumpled flag should not be hoisted or displayed.
- It should not be flown half-mast (represents depressed and mourning).
- Any other flag or emblem should not be placed either above or right to the national flag.
- It should not be used as a decoration or banner in any form.
- It should not be used as a costume or uniform.
- It should not be used as a toy by children.
- It should not be printed or embroidered upon handkerchiefs, dresses or on cushions.
- After cultural or sport-events, flags made of paper or any materials should not be thrown or discarded on the ground. Damage or soiled flag, paper made flags should be disposed in private with the dignity of the flag.
- No one should burn, mutilate, deface, defiles, disfigures, destroys, tramples upon or otherwise shows disrespect to or brings into contempt (whether by words, either spoken or written, or by acts).
- It is advisable not to use plastic flags as they are non-biodegradable and harmful to the atmosphere.

You are, therefore, requested to ensure compliance of the Flag Code (enclosed) in all Regional Offices as well as Kendriya Vidyalayas.

Yours faithfully,

(U.N. Khaware)

Additional Commissioner (Acad.)

*M. Kh. Khaware
26/2/2016
OCC 2016*

Encl: As above.

Copy for information to:

1. PS to the Hon'ble HRM
2. PS to the Commissioner
3. PS to Additional Commissioner (Acad.)

उपायुक्त
केंद्रीय विद्यालय संगठन
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय तथा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थान

विषय:- भारतीय झंडा संहिता, 2002 एवं राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में निहित उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन करने के संबंध में

महोदय / महोदया,

जैसा कि आपको विदित है कि भारत का राष्ट्रीय झंडा, भारत के सम्मान एवं स्वतन्त्रता का द्योतक है। यह हम सभी भारतीयों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें न केवल अपने राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना चाहिए अपितु इसके संबंध में सभी प्रकार की जानकारी भी प्राप्त होनी चाहिए।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं केंद्रीय विद्यालयों के भवनों पर प्रतिदिन प्रातः झंडा फहराया जाए और सूर्यस्त होने से पहले इसे उतारना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय अपने अधीनस्थ केंद्रीय विद्यालयों के प्राचार्यों को भी निर्देशित करें कि वे राष्ट्रीय झंडा पोस्ट को ऐसे प्रमुख स्थान पर स्थापित करें, यदि संभव हो तो प्रार्थना सभा क्षेत्र में, जहां सभी विद्यार्थी प्रतिदिन तिरंगे को नमन कर सके।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय झंडे के गौरव व सम्मान के निरीक्षण हेतु कुछ करने योग्य बातें और न करने योग्य बातों का उल्लेख निम्नवत् किया जाता है :-

करने योग्य बातें:-

- राष्ट्रीय झंडे को जब फहराया जाए तो यह एक सम्मान एवं समस्तरीय होना चाहिए।
- केसरिया भाग सबसे ऊपर होना चाहिए।
- राष्ट्रीय झंडे को जब खुले में फहराया जाए तो यह सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय झंडे को सदैव तीव्रता / सक्रियता के साथ फहराया जाना चाहिए तथा धीरे – धीरे अनुष्ठानिक रूप से उतारा जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय झंडा जब फहराया या उतारा जा रहा हो तो सभी लोगों को झंडे की तरफ मुंह करके सावधान खड़ा होना चाहिए।

न करने योग्य बातें


- विकृत एवं जीर्ण झंडे को न तो फहराया जाना चाहिए और न ही प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय झंडे को आधे झुके रूप में नहीं फहराया जाना चाहिए (यह उदासी एवं शोक की स्थिति को व्यक्त करता है)।
- किसी अन्य झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से न तो ऊंचा या ऊपर और न ही इसके दाईं ओर बराबर में लगाया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग बैनर या सजावट की किसी भी वस्तु के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
- इसका प्रयोग पोशाक या वर्दी के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
- इसका प्रयोग बच्चों के खिलौने के रूप में नहीं करना चाहिए।

- राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग कुशन, पोशाक या रुमाल इत्यादि पर कशीदाकारी या छपाई के रूप में नहीं करना चाहिए।
- किसी भी सांस्कृतिक तथा खेलकूद समारोह की समाप्ति के पश्चात कागज से बने अथवा किसी भी अन्य धातु से बने झंडे को जानबूझकर ज़मीन पर नहीं फेंकना चाहिए। इस प्रकार के झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप किया जाना चाहिए।
- किसी भी व्यक्ति द्वारा न तो राष्ट्रीय ध्वज को जलाना चाहिए, न तो विकृत करना चाहिए, न तो दूषित करना चाहिए, न ही रौंदना या कुचलना चाहिए। राष्ट्रीय झंडे के विषय में किसी भी प्रकार की अवमानना नहीं करनी चाहिए अर्थात् शाब्दिक, मौखिक व लिखित या किसी अन्य कृत्य द्वारा अनादर को अवमानना माना जाता है।
- यह सुझाव दिया जाता है कि राष्ट्रीय झंडे के अंतर्गत प्लास्टिक के झंडों का प्रयोग न किया जाए क्योंकि प्लास्टिक से बने झंडे जैविक रूप से नष्ट नहीं होते हैं (Non – Biodegradable) और ये वातावरण को भी दूषित करते हैं।

अतः सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं केंद्रीय विद्यालयों से अनुरोध है कि आप सभी राष्ट्रीय झंडा संहिता (संलग्न) का अनुपालन अपने – अपने क्षेत्रीय कार्यालयों एवं अधीनस्थ केंद्रीय विद्यालयों में कड़ाई से सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय



(यू.एस. चतुर्वेदी)

अपर आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के निजी सचिव।
2. आयुक्त महोदय के निजी सचिव।
3. अपर आयुक्त (शैक्षिक) के निजी सचिव।